

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 3 — उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च १, २०१०/फाल्गुन १८, १९३१

No. 105]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 9, 2010/PHALGUNA 18, 1931

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2010

सा.का.नि. 179(अ).—इस मंत्रालय के दिनांक 5 मार्च, 2010 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 176(अ) में आंशिक संशोधन करते हुए पैरा-2 में विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नीचे निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"टिप्पण:—इन नियमों के साथ एक सीडी लगी है जिसमें इन स्वास्थ्य चेतावनियों की एक सॉफ्ट प्रति अन्तर्विष्ट है जिसकी प्रयोग तम्बाकू उत्पाद पैकेजों में मुद्रण के लिए किया जाता है।"

अधिसूचना की शेष अंतर्वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

[सं. पी. 16011/3/2008-पीएच.I] वी. वेंकटाचलम, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 9th March, 2010

G.S.R. 179(E).—In partial modification to this Ministry's Notification No. G.S.R. 176(E), dated 5th March, 2010, the following may be added below the specified health warnings in Paragraph 2:—

"Note:—These rules are accompanied by a CD that contains a soft copy of these health warnings, for inclusion in printing of tobacco product packages."

Remaining contents of the Notification shall remain unchanged.

[No. P. 16011/3/2008-PH. I]

V. VENKATACHALAM, Addl. Secy.